सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0

व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0सं0 195/2011 राजस्व वाद

1. थानसिंह पुत्र मिश्री
2. गम्मी सिंह पुत्र मिश्री
3. श्यामवीर पुत्र मिश्री
4. राजकुमार पुत्र मिश्री जाति जाट निवासी कासौट तहसील डीग

––वादीगण

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कासौट तहसील डीग
2. इन्दरसिंह पुत्र किशनसिंह
3. जयप्रकाश पुत्र किशनसिंह
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील डीग

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी व नक्शा
दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी.एक्ट
व धारा 128 से 131 एल.आर. एक्ट

निर्णय **दिनांक :– 02.05.2018**

वादीगण ने यह वाद दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी व नक्शा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी.एक्ट व 128 से 131 एल.आर.एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि आराजी ख0नं0 226/0.16, 210/0.16 बाकै ग्राम कासौट तहसील डीग में स्थित है। मिश्री फौत हो गया है जिसके वादीगण ही वारिसान हैं। वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी का साबिक ख0नं0 1622 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा व 170 रकबा 18 विस्वा का था जिस पर वादीगण बुजुर्गान के समय से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। साबिक ख0नं0 162 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा को हाल ख0नं0 220/0.20 में

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

बदला गया है जबकि वादीगण साबिक के मुताबिक 1 बीघा 9 विस्वा की नई पैमाइश 23 एयर होती है जो साबिक के मुताबिक 3 एयर कम आया है व साबिक ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा को हाल ख0नं0 209/0.12 में बदला गया है साबिक ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा की नई पैमाइश 15 एयर होती है जबकि वादीगण आज भी मौके पर 18 विस्वा पर काबिज हैं मगर राजस्व रिकॉर्ड में 3 एयर कम दर्ज कर दिया गया है साबिक ख0नं0 162 की सीमा से लगता हुआ साबिक ख0नं0 157 रकबा 16 विस्वा का जो प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी का है जिसे दौरान सैटिलमेन्ट, सैटिलमेन्ट विभाग वालों द्वारा हाल ख0नं0 226/0.16 में बदला गया है साबिक ख0नं0 157 रकबा 16 विस्वा की नई पैमाइश 13 एयर होती है और अब 16 एयर दर्ज कर दिया गया है जो कि गलत है, जबकि प्रतिवादी सं0 1 साबिक के मुताबिक 16 विस्वा यानि 13 एयर पर काबिज हैं। 3 एयर रकबा प्रति0 सं0 1 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया है व इसी प्रकार वादीगण का साबिक ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा की मेड़ से भिड़ा हुआ साबिक ख0नं0 169 रकबा 16 विस्वा का था जिसे सैटिलमेन्ट हाल ख0नं0 210/0.16 एयर में बदला गया है जो साबिक के मुकाबले 3 एयर रकबा प्रति0 सं0 2 व 3 के नाम अधिक दर्ज कर दिया है, जबकि साबिक ख0नं0 169 रकबा 16 विस्वा की नई पैमाइश 13 एयर होती है। इस प्रकार सैटिलमेन्ट विभाग वालों को इस प्रकार कम व अधिक दर्ज करने का कतई कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं है। सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मनमाने तरीके से गलत रूप से आराजी ख0नं0 226/0.16 सालिम पर प्रति0 सं0 1 किशनसिंह का नाम दर्ज एवं आराजी ख0नं0 210/0.16 सालिम पर प्रति0 सं0 2, 3 इन्दरसिंह व जयप्रकाश के नाम दर्ज कर दिये हैं जो कि गलत हैं जबकि मौके पर वादीगण ख0नं0 226/0.16 में से 3 एयर व ख0नं0 210/0.16 में से 3 एयर पर काबिज हैं प्रतिवादी सं0 1 ख0नं0 226/0.16 में से 13/16 हिस्सा पर व प्रति0 सं0 2, 3 ख0नं0 210/0.16 में से 13/16 हिस्से पर काबिज हैं व काश्त करते चले आ रहे हैं। लिहाजा वादीगण आराजी ख0नं0 226/0.16 में से 3/16 व ख0नं0 210/0.16 में से 3/16 हिस्से का अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। साबिक ख0नं0 157, 158, 162 के बीच में जो मैड़ नक्शा में सीधी दर्ज है जिसके नये हाल नम्बर 220, 225, 226 के बीच में

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर)

जो मैड़ नक्शा में दिखाई गई है वह सालिम के मुताबिक सही नहीं दर्ज की गई है। हाल ख0नं0 220, 225, 226 के बीच नये नक्शे में टेडी कर दी गई है। सैटिलमेन्ट विभाग वालों को इस प्रकार से तरमीम करने का कतई कोई अधिकार किसी प्रकार का नहीं था, मगर गलत रूप से तरमीम करके आराजी ख0नं0 220, 225, 226 बीच की मैड़ को टेडा कर दिया है। लिहाजा वादी साबिक के मुताबिक हाल नक्शे में आराजी ख0नं0 220, 225, 226 बीच की मैड़ को टेडा कर दिया है को सीधा करा पाने के अधिकारी हैं। हाल नक्शे में तरमीम करा पाने के अधिकारी हैं। प्रति0 सं0 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आवश्यक पक्षकार हैं जिसकी देखरेख में राजस्व रिकॉर्ड रहता है, इसलिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया है प्रति0 सं0 4 के विरूद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80(2) के तहत अलग से परमिशन प्राप्त कर की गई है। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। अब आराजी मुत0 को दीगर लोगों को रहन–वय–मुन्तकिल करके रहेंगे व वादीगण को बेदखल करके रहेंगे प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी है, यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण आराजी ख0नं0 226/0.16 में से 3/16 हिस्सा व ख0नं0 210/0.16 में से 3/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं का प्रति0 सं0 1 का ख0नं0 226/0.16 सालिम प्रति सं0 2, 3 का ख0नं0 210/0.16 सालिम पर इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कर ख0नं0 226/0.16 में से 3/16 हिस्सा व 210/0.16 में से 3/16 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। साबिक ख0नं0 157, 158, 162 के बीच की मैड़ को साबिक नक्शे के मुताबिक हाल नक्शे में आराजी ख0नं0 220, 225, 226 बीच की मैड़ में टेड़ा कर दिया है, सीधा करा पाने के अधिकारी हैं। हाल नक्शे में तरमीम कराई जावे व प्रति0 को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी मुत0 को दीगर लोगों को रहन–वय–मुन्तकिल नहीं करें व वादीगण को लट्ठ व ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें।

उप खण्ड अधिकारी डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर दावा की जवाबदेही हेतु प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 मय अधिवक्ता उपस्थित अदालत आये। प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर कहा कि दावा वादीगण कतई गलत तरीके पर खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है, फर्जी व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है वादीगण के नवीन ख0नं0 220/0.16 तथा ख0नं0 209/0.12 में कोई रकबा की कमी नहीं आई है क्योंकि दोनों नवीन नम्बरान मौके पर जितनी भूमि के हैं उतना ही रकबा दोनों नवीन नम्बरान 220 व 209 में सही प्रकार से अंकित आया है मौके व पैमाइश के अनुसार वादीगण की खातेदारी के दोनों ख0नं0 209 व 220 सही आये हैं। मौके पर ख0नं0 209 व 220 का ही है तथा नवीन ख0नं0 209/0.12 का ही है। इसके अलावा नवीन नम्बरान 209 व 220 तथा विवादित नम्बरों की डौर–मैड़ भी नहीं टूटी हैं और न ही वादीगण ने अपने दावे में इस तथ्य के बारे में अंकित किया है इसलिए वादीगण नवीन आराजी ख0नं0 209 व 220 के रकबा की कमी पूर्ति कराने के कतई अधिकारी नहीं हैं। विवादित नवीन ख0नं0 226/0.16 व ख0नं0 210/0.16 बन्दोबस्त हाल में मुताबिक मौका सही दर्ज किये गये हैं। मौके पर विवादित नम्बरान 210 व 216 की आराजी 16–16 एयर नहीं है और इतनी ही आराजी पर प्रति0 का कब्जा है व जमाने बुजुर्गान प्रति0 का कब्जा चला आ रहा है तथा इस वक्त भी मौके पर विवादित नम्बरान 210/0.16 व 226/0.16 पर प्रति0 का कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार है। बन्दोबस्त द्वारा कोई रकबा नहीं बढ़ाया गया है। विवादित नम्बरान में से रकबा 3/16–3/16 के हिस्से के अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं हैं। दावा वादीगण काबिले खारिजी के है। बन्दोबस्त हाल में नवीन नक्शा अक्स बिल्कुल सही मुताबिक मौका बनाया गया है नवीन ख0नं0 225, 226, 220 का नक्शा अक्स मुताबिक मौका सही है। जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। वादीगण नक्शा अक्स हाल को तरमीम करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः जवाबदावा मय पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर।

वादीगण का दावा व प्रतिवादीगण के जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण विवादित भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी मुत0 पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
3. आया वादीगण खातेदारी भूमि का नक्शा तरमीम करा पाने के अधिकारी हैं।
4. आया वादीगण व प्रतिवादी को नवीन विवादित आराजी का रकबा सही बनाया है जिसे इस दावे से दुरुस्त कराने के अधिकारी नहीं हैं।
5. दादरसी

वकील पक्षकारान द्वारा दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश करने के अलावा मौखिक साक्ष्य भी पेश की। बहस वकील पक्षकारान सुनी जाकर पत्रावली संलग्न रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

तनकी संख्या 1 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 बाकै ग्राम कासौट प्रथम के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 210/0.16 अन्य आराजीयात के साथ इन्दरसिंह, जयप्रकाश पिस0 किशनसिंह कौम फौजदार सा0देह व0हि0ब0 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं तथा आराजी ख0नं0 226/0.16 पर किशनसिंह पुत्र लालाराम कौम फौजदार सा0देह खातेदार राहिन भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा डीग अन्य आराजीयात के साथ दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065–2068 बाकै ग्राम कासौट प्रथम के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 209/0.12, 220/0.20 अन्य आराजीयात के साथ मिश्री बल्द खचेरा कौम फौजदार साकिनदेह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सिनसिनी दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल भूप्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041 बाकै ग्राम कासौट के अवलोकन से प्रकट है कि हाल आराजी ख0नं0 209/0.12 साबिक ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा हाल ख0नं0 210/0.16 साबिक ख0नं0 169 रकबा 16 विस्वा हाल ख0नं0 220/0.20 साबिक ख0नं0 162 रकबा 1

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर)

बीघा 9 विस्वा हाल ख0नं0 225/0.30 साबिक ख0नं0 158 रकबा 18 विस्वा व 159 रकबा 1 बीघा एवं हाल ख0नं0 226/0.16 साबिक ख0नं0 157 रकबा 16 विस्वा से बनना बताया गया है प्रकट है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 बाकै ग्राम कासौट के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 162 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा व ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा पर मिश्री पुत्र खचेरा कौम फौजदार सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 बाकै ग्राम कासौट के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 157 रकबा 16 विस्वा अन्य आराजीयात के साथ लालाराम पुत्र भवना कौम फौजदार सा0देह खातेदार के अंकन हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 बाकै ग्राम कासौट के अवलोकन से प्रकट है कि आराजी ख0नं0 169 रकबा 16 विस्वा अन्य आराजीयात के साथ मिश्री मुन्दरजा खाता नम्बर 196 व काश्त लालाराम पुत्र भवना कौम फौजदार सा0देह शिकमी के अंकन हैं। इस प्रकार मिलान क्षेत्रफल में साबिक आराजी ख0नं0 162 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा से हाल ख0नं0 220/0.20 एवं साबिक ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा से हाल ख0नं0 209/0.12 बनाया जाना प्रकट है। साबिक आराजी ख0नं0 162 व 170 मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 बाकै ग्राम कासौट मिश्री पत्र खचेरा कौम फौजदार नि0 कासौट खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त साबिक ख0नं0 162 व 170 से जो हाल रकबा 220/0.20 व 209/0.12 बनाये गये हैं उनमें साबिक के मुकाबले कम रकबा दर्शाया गया है रिकॉर्ड से प्रकट है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2021–2024 बाकै ग्राम कासौट में आराजी ख0नं0 157 रकबा 16 विस्वा पर लालाराम पुत्र भवना कौम फौजदार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिससे हाल ख0नं0 226/0.16 बनाया गया है प्रकट है। जो साबिक के मुकाबले हाल रकबा में 3 एयर वेशी दर्शाया गया है रिकॉर्ड से प्रकट है तथा साबिक ख0नं0 169 रकबा 16 विस्वा का हाल ख0नं0 210/0.16 बनाया गया है उक्त आराजी में भी साबिक के मुकाबले 3 एयर रकबा वेशी प्रकट है रिकॉर्ड से प्रकट हो रहा है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड सेयह स्पष्ट है कि साबिक आराजी ख0नं0 169 रकबा 16 विस्वा से बने हाल ख0नं0 210/0.16 व ख0नं0 157 रकबा 16 विस्वा से बने हाल ख0नं0 226/0.16 में रकबा वेशी होना प्रकट है, जबकि साबिक ख0नं0 170 रकबा 18 विस्वा से बने हाल ख0नं0 209/0.12 एवं साबिक ख0नं0 162 रकबा 1

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर

बीघा 9 विस्वा से बने हाल ख0नं0 220/0.20 में साबिक के मुकाबले कम आराजी होना प्रदर्शित है। वादीगण साबिक के मुकाबले हाल वेशी रकबा की शुद्धि चाहते हैं जो संलग्न रिकॉर्ड से प्रकट हो रहा है। वादीगण साबिक के मुकाबले हाल आराजी ख0नं0 226/0.16 में से 3/16 हिस्सा व 210/0.16 में से 3/16 हिस्सा पर खातेदारी चाहते हैं जो गत के मुकाबले हाल रिकॉर्ड में उक्त रकबा वेशी प्रकट है। उक्त वेशी रकबा रिकॉर्ड से प्रकट हो रहा है। वादीगण साबिक रकबे के मुकाबले हाल रकबा में शुद्ध कराये जाने के अधिकारी पाये गये हैं। रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर इस तनकी का निर्णय वादीगण के हक में किया जाता है।

तनकी संख्या 2 :– तनकी संख्या 1 का निर्णय वादीगण के हक में हुआ है। वादीगण मुताबिक साबिक रिकॉर्ड हाल रिकॉर्ड में अपने नाम खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये गये हैं। अतः वादीगण विवादित आराजी ख0नं0 226/0.16 के हिस्सा 3/16 व ख0नं0 210/0.16 के हिस्सा 3/16 बाकै ग्राम कासौट की बावत् प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के हक में किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

तनकी संख्या 3 :– वादीगण द्वारा अपने वाद में हाल नक्शा अक्स की नकल पेश की है साबिक रिकॉर्ड नक्शा अक्स की नकल पेश नही है। अतः साबिक रिकॉर्ड की नकल पेश न होने की स्थिति में व तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट व सही न होने की स्थिति में इस तनकी को इसी स्तर पर (Ques) की जाती है।

तनकी संख्या 4 :– तनकी संख्या 3 के निर्णय में तनकी को Ques किया गया है तनकी संख्या 4 को भी इसी स्तर पर Ques किया जाता है।

दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय वादीगण के हक में निर्णित किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड से वादीगण अपने वाद के कथन में साबिक आराजी के मुकाबले हाल आराजी में कम दर्शायी गई आराजी को शुद्ध किये जाने पर रिकॉर्ड से सिद्ध पाये जाने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद काबिले डिक्री के है।

उप खण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर)

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का वाद रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी ख0नं0 226/0.16 में से 3/16 हिस्से का एवं आराजी ख0नं0 210/0.16 में से 3/16 हिस्से का बाकै ग्राम कासौट प्रथम तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी ख0नं0 226/0.16 का शेष 13/16 हिस्सा व ख0नं0 210/0.16 का 13/16 हिस्सा का इन्द्राज यथावत रहेगा मात्र 3/16–3/16 हिस्से से ही प्रति0 के नाम के अंकन को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 226/0.16 से 3/16 हिस्सा व ख0नं0 210/0.16 से हिस्सा 3/16 पर मजाहमत व मदाखलत न करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रु0 6–7 जाप्ता दीवादी)

(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग (भरतपुर) राज0
व इजलाश श्री दुलीचन्द मीना आर0ए0एस0

मु0सं0 195/2011 राजस्व वाद

1. थानसिंह पुत्र मिश्री
2. गम्मी सिंह पुत्र मिश्री
3. श्यामवीर पुत्र मिश्री
4. राजकुमार पुत्र मिश्री जाति जाट निवासी कासौट तहसील डीग

––वादीगण

बनाम

1. किशनसिंह पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी कासौट तहसील डीग
2. इन्दरसिंह पुत्र किशनसिंह
3. जयप्रकाश पुत्र किशनसिंह
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील डीग

––प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन व हुक्मइम्तनाई दवामी व नक्शा
दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर.टी.एक्ट
व धारा 128 से 131 एल.आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता मिनजानिव पक्षकारान मिनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद रिकॉर्ड से प्रमाणित होने पर डिक्री किया जाता है। वादीगण को आराजी ख0नं0 226/0.16 में से 3/16 हिस्से का एवं आराजी ख0नं0 210/0.16 में से 3/16 हिस्से का बाकै ग्राम कासौट प्रथम तहसील डीग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त आराजी ख0नं0 226/0.16 का शेष 13/16 हिस्सा व ख0नं0 210/0.16 का 13/16 हिस्सा का इन्द्राज यथावत रहेगा मात्र 3/16–3/16 हिस्से से ही प्रति0 के नाम के अंकन को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 226/0.16 से 3/16 हिस्सा व ख0नं0 210/0.16 से हिस्सा 3/16 पर मजाहमत व मदाखलत न करें। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

आज.....मुवलिंग.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व भाहर.....को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज तारीख 02 माह 05 सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मीजान		रूपया	पैसे	मुद्दालय		रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	2		स्टाम्प अरजी	.....		
स्टाम्प बजह सबूत	.....			महनताना वकील	)पर		
महनताना वकील	)पर			खर्चा गवाहान	.....		
खर्चा गवाहान	.....			फीस कमिश्नर	.....		
फीस कमिश्नर	.....			बावत इजराय हुक्मनामा	.....		
बावत इजराय हुक्मनामा	.....			मुतफरिक	.....		
मुतफरिक	.....	2					
मीजान	.....			मीजान	.....		

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग भरतपुर)